ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 3/1/2013/VVPAT/SDR Dated: 15th October, 2013

To

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories

Subject: The Conduct of Election (Amendment) Rules, 2013-reg.

Sir/ Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2013, as published in Extraordinary Issues of the Gazette of India dated 14th August, 2013, amending/ making rules for the use of 'Printer for paper trial' of votes recorded in EVMs. These amendments would be relevant in cases which VVPAT system is used with EVMs, under the Commission's instructions.

This may be brought to the notice of all District Election Officers, Returning Officers and other election authorities concerned and also the State Units or recognized political parties and all registered unrecognized political parties based in your State/ Union Territory for their information.

Please note that the format of Statutory From 17C appended to the CE Rules, 1961 that is used for keeping account of votes recorded at polling stations with the use of EVMs and noting down the result of counting displayed on the Central Unit of EVM has been amended by this notification. Henceforth, only this Form 17C will be used at all future elections conducted by use of EVMs irrespective of the fact whether the printer is used for printing of paper trail or not. The stock of existing Form 17C may be replaced with the modified Form.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

(N. T. Bhutia)
UNDER SECRETARY

STANDARD DISTRIBUTION

रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1896] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2013/श्रावण, 23, 1935

No. 1896] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2013/SHRAVANA 23, 1935

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2013

का.आ. 2470(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 49क के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उनके हिस्सों में, जैसा निर्वाचन आयोग निदेशित करे, मत के कागज़ पुच्छ के मुद्रण के लिए मतदान मशीन से ऐसे अभिकल्प के ड्रॉपबॉक्स के साथ प्रिंटर जोड़ा जा सकेगा, जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए ।"।

3. मूल नियमों के नियम 49ख के उपनियम (4) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) नियम 49क के परंतुक के अधीन जहां कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है—

(i) खंड (क) के अधीन मतदान यूनिटों पर यथाप्रदत्त अभ्यर्थियों के क्रम संख्यांक और नाम तथा उन्हें आबंटित चिह्नों को प्रिंटर में लोड करके ;

(ii) प्रिंटर में कागज़ लोड करके ; और

(iii) प्रिंटर को ऐसी रीति में मुद्राबंद करके जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित किया जाए,

नियंत्रण युनिटों में सेट किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रिंटर सेट किया जाएगा ।" ।

4. मूल नियमों के नियम 49ङ में,--

(क) उपनियम (1) आरंभिक भाग में, "प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर" शब्दों के पश्चात्, "और कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर पर, जहां प्रयुक्त हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, "मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगा है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं है और उस पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेबल लगा है, और जहां कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है वहां प्रिंटर का ड्रापबॉक्स खाली है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ग) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(7) जहां कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, वहां मतदान कोष्ठ में मतदान यूनिट के साथ प्रिंटर भी रखा जाएगा और उस रीति में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन से जोड़ा जाएगा जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित किया जाए ।"।

5. मूल नियमों के नियम 49ङ के उपनियम (3) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट बटन दबाकर मतदान करने पर निर्वाचक मतदान कोष्ठ के अंदर मतदान यूनिट के साथ रखे प्रिंटर की पारदर्शी खिड़की से प्रिंटर के ड्रापबॉक्स में ऐसी कागज़ की पर्ची कटकर गिरने के पूर्व उस अभ्यर्थी का क्रम संख्यांक, नाम और चिह्न, जिसे उसने अपना मत दिया है, दर्शित करने वाली मुद्रित कागज़ की पर्ची देखने में समर्थ होगा ।" ।

6. मूल नियमों के नियम 49ङ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**49ङक. कागज़ की पर्ची पर मुद्रित विशिष्टियों के बारे में परिवाद की दशा में प्रक्रिया**-(1) जहां कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, यदि नियम 49ङ के अधीन अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् निर्वाचक यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर से निकली हुई कागज़ की पर्ची में उस अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी का नाम या चिह्न दर्शाया गया है जिसे उसने मत दिया था, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में चेतावनी देने के पश्चात्, निर्वाचक से आरोप के संबंध में लिखित घोषणा प्राप्त करेगा ।

(2) यदि निर्वाचक उपनियम (1) में निर्दिष्ट लिखित घोषणा देता है तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेगा, अपनी उपस्थिति में तथा अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित रह सकेंगे तथा प्रिंटर द्वारा निकाली गई कागज़ की पर्ची का प्रेक्षण करेंगे, निर्वाचक को मतदान मशीन में एक परीक्षण मतदान अभिलिखित करने की अनुज्ञा देगा ।

(3) यदि आरोप सत्य पाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी इन तथ्यों की रिपोर्ट तुरंत रिटर्निंग आफिसर को करेगा, उस मतदान मशीन में और मत अभिलिखित करना बंद कर देगा तथा उन निदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए जाएं ।

(4) तथापि, यदि आरोप मिथ्या पाया जाता है और उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार निकाली हुई कागज़ की पर्ची उपनियम (2) के अधीन निर्वाचक द्वारा अभिलिखित परीक्षण मत से मेल खाती है तो पीठासीन अधिकारी-

(i) प्ररूप 17क में उस अभ्यर्थी का क्रम संख्यांक और नाम जिसके लिए ऐसा परीक्षण मत अभिलिखित किया गया है, वर्णित करते हुए उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने उस प्रभाव की टिप्पणी करेगा ;

(ii) ऐसी टिप्पणियों के सामने उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेगा ; और

(iii) प्ररूप 17ग के भाग 1 में मद 5 में ऐसे परीक्षण मत के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।"।

7. मूल नियमों के नियम 49न में,--

(क) उपनियम (1) में, "मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से" शब्दों के पश्चात्, "और प्रिंटर से, जहां प्रिंटर भी प्रयुक्त होता है, किंतु इस प्रकार कि प्रिंटर के ड्रापबॉक्स में अंतर्विष्ट कागज़ की पर्चियां अविकल रहेंगी," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में "नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को" शब्दों के स्थान पर, जहां प्रयुक्त होते है, "नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट और प्रिंटर को, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे"

8. मूल नियमों के नियम 66क में, खंड (i) में, --

(अ) नियम 56ग के उपनियम (2) में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु प्ररूप 17ग के भाग 1 के मद 5 के अनुसार, किसी अभ्यर्थी के लिए, अभिलिखित परीक्षण मत, यदि कोई हो, नियंत्रण यूनिट पर यथा प्रदर्शित ऐसे अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित किए गए मतों की संख्या में से घटा दिया जाएगा ।";

(आ) नियम 56ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**56घ. कागज़ पुच्छ की संवीक्षा**-(1) जहां कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, परिणाम शीट में की गई प्रविष्टियों की घोषणा किए जाने के पश्चात्, कोई अभ्यर्थी, या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता किसी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रो के संबंध में प्रिंटर के ड्रापबॉक्स में मुद्रित कागज़ पर्चियों की गणना करने के लिए लिखित में रिटर्निंग आफिसर को आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर, रिटर्निंग आफिसर, ऐसे साधारण या विशेष दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं, मामले का विनिश्चय करेगा तथा आवेदन को पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात कर सकेगा या पूर्णतः अस्वीकृत कर सकेगा, यदि उसे वह तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है ।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का प्रत्येक विनिश्चय लिखित में होगा तथा उसमें उसके कारण अंतर्विष्ट होंगे ।

(4) यदि उपनियम (2) के अधीन रिटर्निंग आफिसर कागज़ पर्चियों की गणना या तो पूर्णतः या भाग या भागों को अनुज्ञात करता है तो वह--

(क) गणना उस रीति में करेगा जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित किया जाए ;

(ख) यदि नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित मतों और कागज़ की पर्चियों की गणना में कोई विसंगति है तो कागज़ की पर्चियों की गणना के अनुसार प्ररूप 20 में परिणाम शीट को संशोधित करेगा ;

(ग) उसके द्वारा इस प्रकार किए गए संशोधनों की घोषणा करेगा ; और

(घ) परिणाम शीट को पूर्ण करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा";

(ङ) नियम 57ग में,--

(क) उपनियम (1) में, "ऐसे परिणाम की स्मृति प्रतिधारित कर सके" शब्दों के पश्चात्, "और जहां कागज़ पुच्छ के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, रिटर्निंग आफिसर ऐसी रीति में कागज की पर्चियों को मुद्राबंद करेगा जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित किया जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में,-

(i) आरंभिक भाग में, "नियंत्रण यूनिट" शब्दों के पश्चात्, "और कागज़ की पर्चियों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "नियंत्रण यूनिट" शब्दों के पश्चात्, "और प्रिंटर, जहां कहीं प्रयुक्त हो," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

9. मूल नियमों के नियम 92 के उपनियम (2) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(गग) नियम 57ग के उपबंधों के अधीन मुद्राबंद मुद्रित कागज़ की पर्चियां ;" ।

10. मूल नियमों के नियम 93 के उपनियम (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(गग) नियम 57ग के उपबंधों के अधीन मुद्राबंद मुद्रित कागज़ की पर्चियां ;" ।

11. मूल नियमों के नियम 94 में, खंड (ख) के परंतुक में "प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों" शब्दों के पश्चात्, "और मुद्रित कागज़ की पर्चियों, यदि कोई हों," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

12. मूल नियमों में, प्ररूप 17ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप 17ग

(नियम 49घ और 56ग (2) देखिए)

भाग 1 - अभिलिखित मतों का लेखा

............................निर्वाचन-क्षेत्र से...लोक सभा क्षेत्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्यांक और नाम : ....

नियंत्रण यूनिट...................................

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान : मतदान यूनिट..
मशीन का पहचान संख्यांक : प्रिंटर (यदि प्रयुक्त हुआ है) ....

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. नियम 49ण के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. नियम 49ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. नियम 43एमए(घ) के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत-

(क)	कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्यां	क्रम संख्या (संख्यांए)	प्ररूप 17(क) में निर्वाचक (निर्वाचकों) की क्रम सं0
		....	....

(ख)	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए	क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	मतों की सं0
		....	....	....
		....	....	....

6. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या : ....
7. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा–मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए :
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

		क्रम संख्या	
	कुल	से	तक
(क) प्रयोग के लिए प्राप्त................			
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए................			
(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए			

9. कागज की सीलों का लेखा

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें	कुल सं0......... क्र0सं0 .... से........ तक	1...
2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें	कुल सं0........ क्र0सं0 .... से........ तक	2...
3. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें	कुल सं0........ क्र0सं0 .... से........ तक	3...
4. नष्ट हुई कागज की सीलें, यदि कोई हों :	कुल सं0........ क्र0सं0 .... से........ तक	4... 5... 6...

तारीख ....

स्थान.........................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र सं0...........................

3548 GI/13-2

भाग 2 -- मतगणना का परिणाम

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित मतों की संख्या	भाग 1 के मद 5 के अनुसार कटौती किए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या	विधिमान्य मतों की संख्या (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
योग				

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 6 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है ।

स्थान.......................

तारीख...........................

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम

पूरे हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

स्थान..........................

तारीख..............................

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर ।"।

[फा. सं. एच-11019(10)/2010-वि. 2]

डॉ. जी. नारायण राजू, संयुक्त सचिव और विधायी प्रामर्शी

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 859 तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1732(अ) तारीख 1 अगस्त, 2012 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2013

S.O. 2470(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (*1*) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2013.
(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 49A, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission, may also be attached to a voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission may direct.".

3. In the principal rules, in rule 49B, in sub-rule (4), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c)where the printer for paper trail is used under the proviso to rule 49A, set the printer as per the number of contesting candidates set in the control unit by –

(i) loading in the printer the serial numbers and names of candidates and symbols allotted to them as given on the balloting units under clause (a);
(ii) loading paper in the printer; and
(iii) sealing the printer in such manner as may be directed by the Election Commission.".

4. In the principal rules, in rule 49E,—

(a) in sub-rule (1), in the opening portion, after the words "every voting machine used at polling station,", the words "and the printer for paper trail where used," shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), for the words, brackets and figure "no voter has been already recorded in the voting machine and it bears the label referred to in sub-rule (4).", the words, brackets and figure " no vote has been already recorded in the voting machine and it bears the label referred to in sub-rule (1), and where the printer for paper trail is used that the drop box of the printer is empty." shall be substituted;

(c) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(7) Where the printer for paper trail is used, the printer shall also be kept along with the balloting unit in the voting compartment and shall be connected to the electronic voting machine in the manner as directed by the Election Commission.".

5. In the principal rules, in rule 49M, in sub-rule (3), after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where printer for paper trail is used, upon casting the vote by pressing the button as referred to in clause (b), the elector shall be able to view through the transparent window of the printer, kept alongwith the balloting unit inside the voting compartment, the printed paper slip showing the serial number, name and the symbol of the candidate for whom he has cast his vote before such paper slip gets cut and drops in the drop box of the printer.".

6. In the principal rules, after rule 49M, the following rule shall be inserted, namely:-

"**49MA.Procedure in case of complaint about particulars printed on paper slip.**–(1) Where printer for paper trail is used, if an elector after having recorded his vote under rule 49M alleges that the paper slip generated by the printer has shown the name or symbol of a candidate other than the one he voted for, the presiding officer shall obtain a written declaration from the elector as to the allegation, after warning the elector about the consequence of making a false declaration.

(2) If the elector gives the written declaration referred to in sub-rule (1), the presiding officer shall make a second entry related to that elector in Form 17A, and permit the elector to record a test vote in the voting machine in his presence and in the presence of the candidates or polling agents who may be present in the polling station, and observe the paper slip generated by the printer.

(3) If the allegation is found true, the presiding officer shall report the facts immediately to the returning officer, stop further recording of votes in that voting machine and act as per the direction that may be given by the returning officer.

(4) If, however, the allegation is found to be false and the paper slip so generated under sub-rule (1) matches with the test vote recorded by the elector under sub-rule (2), then, the presiding officer shall—

(i) make a remark to that effect against the second entry relating to that elector in Form 17A mentioning the serial number and name of the candidate for whom such test vote has been recorded;
(ii) obtain the signature or thumb impression of that elector against such remarks; and
(iii) make necessary entries regarding such test vote in item 5 in Part I of Form 17C.".

7. In the principal rules, in rule 49T,—

(a) in sub-rule (1), after the words "detach the balloting unit from the control unit", the words "and from the printer, where printer is also used, so however, that the paper slips contained in the drop box of the printer shall remain intact" shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), for the words "The control unit and the balloting unit shall,", the words "The control unit, the balloting unit and the printer, where it is used, shall" shall be inserted.

8. In the principal rules, in rule 66A, in clause (i),—

(A) in rule 56C, in sub-rule (2), after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the test vote recorded, if any, for a candidate, as per item 5 in Part I of Form 17C, shall be subtracted from the number of votes recorded for such candidate as displayed on the control unit.";

(B) after rule 56C, the following rule shall be inserted, namely:—

"**56D. Scrutiny of paper trail.**– (1) Where printer for paper trail is used, after the entries made in the result sheet are announced, any candidate, or in his absence, his election agent or any of his counting agents may apply in writing to the returning officer to count the printed paper slips in the drop box of the printer in respect of any polling station or polling stations.

(2) On such application being made, the returning officer shall, subject to such general or special guidelines, as may be issued by the Election Commission, decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject in whole, if it appears to him to be frivolous or unreasonable.

(3) Every decision of the returning officer under sub-rule (2) shall be in writing and shall contain the reasons therefor.

(4) If the returning officer decides under sub-rule (2) to allow counting of the paper slips either wholly or in part or parts, he shall—

(a) do the counting in the manner as may be directed by the Election Commission;

(b) if there is discrepancy between the votes displayed on the control unit and the counting of the paper slips, amend the result sheet in Form 20 as per the paper slips count;

(c) announce the amendments so made by him; and

(d) complete and sign the result sheet.";

3548 GI/13-3

(C) in rule 57C,—

(a) in sub-rule (1), after the words "the memory of such result", the words "and where printer for paper trail is used, the returning officer shall seal the paper slips in such manner, as may be directed by the Election Commission" shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), —

(i) in the opening portion, after the words "The control unit", the words "and the paper slips" shall be inserted;

(ii) in clause (c), after the words "the control unit", the words "and printer wherever used" shall be inserted.

9. In the principal rules, in rule 92, in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(cc) the printed paper slips sealed under the provisions of rule 57C;".

10. In the principal rules, in rule 93, in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(cc) the printed paper slips sealed under the provisions of rule 57C;".

11. In the principal rules, in rule 94, in the proviso to clause (b), after the words "counterfoils of used ballot papers", the words "and the printed paper slips, if any," shall be inserted.

12. In the principal rules, for FORM 17C, the following form shall be substituted, namely:—

"FORM 17C

[See rules 49S and 56C(2)]

PART I.—ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to House of the People/Legislative Assembly of the State/Union territory..............from................Constituency.

Number and Name of Polling Station: ....

Identification Number of voting Machine used at the Polling Station : control unit ....
balloting unit..
Printer (if used) ....

1. Total number of electors assigned to the Polling Station

2. Total number of voters as entered in the Register for Voters (Form 17A)

3. Number of voters deciding not to record votes under rule 49-O

4. Number of voters not allowed to vote under rule 49M

5. Test votes recorded under rule 49MA (d) required to be deducted-

(a) total number of test votes to be deducted:

Total No.	Sl. No.(s) of elector(s) in Form 17A
....	....

(b) candidate(s) for whom test vote(s) cast:

Sl.No	Name of candidate	No. of votes
.....	....	....
.....	......	....

6. Total number of votes recorded as per voting machine:..

7. Whether the total number of votes as shown against item 6 tallies with the total number of votes as shown against item 2 minus numbers of voters deciding not to record votes as against item 3 minus number of voters as against item 4 (**i.e.** 2-3-4) or any discrepancy noticed:...............................

8. Number of voters to whom tendered ballot papers were issued under rule 49P:........................

9. Number of tendered ballot papers.

	Total	Sl.No. From	Sl.No. To
(a) received for use			
(b) issued to electors			
(c) not used and returned			

10. Account of papers seals

		Signature of polling agents.
1. Paper seals supplied for use :	Total No............ Sl. No. from........to	1. ____________
2. Paper seals used :	Total No .... Sl. No. (s).........	2 ____________
3. Unused paper seals returned to Returning Officer :	Total No .... Sl. No.(s)	3 ____________
4. Damaged paper seal, if any :	Total No .... Sl. No.(s)	4 ____________
		5 ____________
		6 ____________

Date...........
Place..........

Signature of Presiding Officer
Polling Station No.................

PART II—RESULT OF COUNTING

Sl.No. of candidate	Name of candidate	Number of votes as displayed on control unit	Number of test votes to be deducted as per item 5 of Part I.	Number of valid votes. (3 -4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Total				

Whether the total number of votes shown above tallies with the total number of votes shown against item 6 of Part I or any discrepancy noticed between the two totals.

Place.............
Date..............

Signature of Counting Supervisor
Full signature

Name of candidate/election agent/counting agent

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Place ....
Date...........................

Signature of Returning Officer.".

[F. No. H-11019(10)/2010-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Jt. Secy. and Legislative Counsel.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and last amended *vide* notification number S.O. 1732(E), dated 1st August, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.